वार्षिक प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2007–2008)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

चतुर्थ एवं पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'' बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

फोन–0755–2430154, 2464643, फैक्स– 2430158

वेबसाईट : www.mperc.org

ई–मेल : secmperc@sancharnet.in

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	कार्यकारी संक्षेपिका	**3–7**
2.	वर्ष 2007–08 के दौरान जारी किये गये टैरिफ आदेशों की मुख्य विशेषताएं	**8–21**
3.	वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान जारी किये गये विनियम/विनियमों में संशोधन तथा परिवर्धन	**22**
4.	उपभोक्ता सेवाएं विनियमों का परिपालन तथा अनुज्ञप्तिधारियों के अनुपालन मानदण्ड	**23–27**
5.	वित्तीय वर्ष 2007–08 का वार्षिक लेखा–जोखा	**28**
	परिशिष्ट –1	**29**
	परिशिष्ट –2	**30**
	परिशिष्ट –3	**31–33**
	परिशिष्ट –4	**34–36**
	परिशिष्ट –5	**37–39**

अध्याय – 1

कार्यकारी संक्षेपिका

1.1 विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन् द्वारा देश के विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। मध्यप्रदेश का विद्युत क्षेत्र में भी इसी प्रकार के परिवर्तनों का अनुभव कर रहा है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को वहनीय दरों पर कई उपायों द्वारा जैसे कि, प्रतिस्पर्धा, खुली पहुंच द्वारा गुणवत्तायुक्त विद्युत प्रदान करना है। सीमान्त क्षेत्रों तक विद्युत प्रदाय की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने पर विशेष बल दिया गया है तथा प्रति–व्यक्ति विद्युत खपत के स्तर में अभिवृद्धि करना है। अधिनियम में विद्युत प्रदाय के क्षेत्र में दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से तत्कालीन विद्युत मण्डलों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य का विद्युत क्षेत्र अभी परिवर्तन के दौर में है। सुधार गतिविधियां निरंतर जारी हैं जिसके कुछ परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जैसे कि पारेषण तथा वितरण हानियों में निश्चित तौर पर गिरावट दृष्टिगोचर हो रही है। विद्युत कंपनियों की प्रचालन कार्यकुशलता में सुधार परिलक्षित हुआ है यद्यपि इसमें अभी काफी सुधार किया जाना अपेक्षित है। उपभोक्ता को सशक्तिकृत करने हेतु दृढ़ संकल्प का विकास हो रहा है। स्थिति को संतोषजनक स्तर पर लाये जाने बाबत्, समस्त हितग्राहियों अर्थात् आयोग, राज्य शासन, राज्य की विद्युत कंपनियॉ, उपभोक्ताओं तथा उपभोक्ता संबंधी संस्थाओं/ गैर–शासकीय संगठनों को भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

1.2 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मप्रविनिआ) माह फरवरी 1999 में विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत अस्तित्व में आया। तत्पश्चात् राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001 में विद्युत सुधार अधिनियम पारित किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया जो कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक व्यापक विधान है तथा यह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक 10 दिसंबर 2003 से प्रभावशील हुआ है।

1.3 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अनुसार, राज्य आयोग से प्रति वर्ष एक बार पूर्व वर्ष की गतिविधियों के संबंध में संक्षिप्त विवरण दर्शाते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने की अपेक्षा की गई है जिसके अनुसार प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां राज्य शासन को प्रेषित की जावेंगी तथा प्राप्त होने पर इन्हें राज्य सरकार द्वारा यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

1.4 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तदानुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर इसे राज्य शासन को प्रेषित किया जाता रहा है। यह प्रतिवेदन वर्ष 2007–08 से संबंधित है।

वित्तीय वर्ष 2007–08 की गतिविधियों का सारांश

1.5 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण से संबंधित निम्न टैरिफ आदेश जारी किये हैं :

	टैरिफ आदेश	जारी होने की तिथि
(1)	विद्युत वितरण कम्पनियों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु वित्तीय लाभ अथवा हानि का सत्यापन	16–01–2008
(2)	वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु उत्पादन टैरिफ का सत्यापन	18–01–2008
(3)	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु उत्पादन टैरिफ की निरंतरता	18.–03–2008
(4)	वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु पारेषण टैरिफ का सत्यापन तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पारेषण टैरिफ की निरंतरता	19–03–2008
(5)	तीनों विद्युत वितरण कंपनियों हेतु खुदरा विद्युत प्रदाय हेतु टैरिफ दर निर्धारण	29–03–2008

1.6 वर्ष के दौरान, आयोग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, जैसे कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरमों के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्रभावशील ढंग से अनुवीक्षण किया जाना, नवीन तथा नवीकरण योग्य (अक्षय) ऊर्जा के विभिन्न स्त्रोतों हेतु टैरिफ दरों की घोषणा द्वारा आयोग के संकल्प का प्रदर्शन, उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु गैर–शासकीय संस्थाओं को सन्निहित कर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना, ऊर्जा कार्यकुशलता तथा मांग–पक्ष प्रबंधन (डिमाण्ड साईड मैनेजमेंट) को प्रोत्साहित किये जाने बाबत् एक कार्यशाला का आयेाजन किया जाना, उपभोक्ता मीटरीकरण से संबंधित विषयों पर कार्यशाला का आयोजन किया जाना, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस (15.3.2008) के अवसर पर उसके संकल्प का प्रचार–प्रसार करना तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के टैरिफ को अंतिम रूप से अवधारण करते समय अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता के हितों के मध्य सावधानीपूर्वक संतुलन किया जाना।

1.7 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा राज्य शासन को सम्पूर्ण राज्य में एक समान खुदरा टैरिफ दर सुनिश्चित किये जाने हेतु भी परामर्श प्रदान किया गया।

1.8 आयोग ने विद्युत क्षेत्र की अहर्ताओं को ध्यान में रखकर, विद्युत क्षेत्र में पाये गये परिवर्तनों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नवीन विनियम, कतिपय विनियमों में संशोधन/परिवर्धन जारी किये हैं।

1.9 उपभोक्ताओं के हित संवर्धन तथा अनुज्ञप्तिधारियों की कार्यकारी कार्यकुशलता में सुधार किये जाने की दृष्टि से, आयोग नियमित रूप से विद्युत कंपनियों के साथ विचारों का आदान–प्रदान करता रहा है। आयोग द्वारा विद्युत कंपनियों के उच्चतम प्रबंधन स्तर पर तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया।

1.10 आयोग द्वारा मैदानी स्तर की वास्तविक परिस्थितियों की जानकारी प्राप्ति हेतु कई मैदानी दौरे भी किये गये । इनके संक्षिप्त विवरण निम्नानुार हैं :

(1) 20–21 मई, 2007 – मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उज्जैन क्षेत्र के अंतर्गत देवास के समीप मैदानी क्षेत्रों में पवन ऊर्जा उत्पादन स्थलों का भ्रमण।

(2) 27–28–29 जुलाई, 2007 – राज्य भार प्रेषण केन्द्र का निरीक्षण, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, म.प्र. पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड तथा म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर के साथ समीक्षा बैठकों का आयोजन।

(3) 1 तथा 2 अगस्त, 2007 – मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत इंदौर तथा अन्य मैदानी क्षेत्रों का स्थल भ्रमण तथा वितरण कम्पनी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों का आयोजन।

(4) 20 अगस्त, 2007 – मिसरोद, मण्डीदीप का दौरा तथा मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों का आयेाजन।

(5) 11–12 दिसंबर, 2007 – एनटीपीसी के टाडा ताप विद्युत स्टेशन का दौरा

(6) 13–14 दिसंबर, 2007 – एनटीपीसी के ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन का दौरा

(7) 1–2 फरवरी, 2008 – एनटीपीसी के सिम्हादरी ताप विद्युत स्टेशन तथा पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया का दौरा

(8) 14–15 फरवरी, 2008 – टेहरी जल–विद्युत स्टेशन का दौरा

(9) 28 मार्च, 2008 – त्रिचूर (विचार गोष्ठी) में भागीदारी

उपरोक्त दौरों में आयोग द्वारा पावर स्टेशन के अधिकारियों, क्षेत्र के उपभोक्ताओं के साथ–साथ विभिन्न उपभोक्ता संघों, जैसे कि उद्योग संघों/चैम्बर ऑफ कामर्स, क्षेत्र के गैर–शासकीय संगठनों के साथ विस्तृत चर्चाऐं की गईं जिनमें कि उन्हें वर्तमान में प्रदान की जा रही सेवाओं के स्तर तथा उनकी अपेक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। आयोग द्वारा संग्रहण पटलों, शिकायत निवारण केन्द्रों (काल सेंटर) तथा अन्य कार्यालय जो उपभोक्ता सेवाओं से सीधे सम्बद्ध हैं, पर प्रदान की जा रही सुविधाओं की समीक्षा भी की गई। आयोग ने विद्युत वितरण कंपनियों को उचित शेड, पंखे /कूलर, महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों हेतु पृथक संग्रहण पटल, महिलाओं हेतु पृथक प्रसाधन व्यवस्था आदि प्रदान कर उपभोक्ताओं को समुचित सुविधाऐं दिये जाने के निर्देश दिये हैं। प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया । कई महत्वपूर्ण विषयों, जैसे कि वितरण हानियों में कमी लाये जाने, संग्रहण दक्षता में सुधार लाये जाने, बकाया राशि की वसूली, फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति, अनुपालन मानदण्डों के परिपालन, उपभोक्ता संरक्षण तथा सहायता, उपभोक्ता जागरूकता के संबंध में प्रचार–प्रसार, आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा समुचित दिशा–निर्देश जारी किये गये।

1.11 वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान कुल 106 याचिकाऐं, जिसमें स्व–प्रेरणायाचिकाएं सम्मिलित हैं, पंजीकृत की गईं। पूर्व वर्ष की 52 याचिकाएं भी अवशेष थीं। इस प्रकार कुल 158 याचिकाओं में से कुल 128 याचिकाओं का निराकरण किया गया जबकि अवशेष 30 याचिकाएं निराकरण की प्रक्रिया में हैं।

1.12 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के अंतर्गत राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान, राज्य सलाहकार समिति की तीन बैठकों का दिनांक 29.5.2007, दिनांक 29.9.2007 तथा दिनांक 28.12.2007 को आयोजन किया गया। टैरिफ के अवधारण, उपभोक्ता हितों के संवर्धन तथा अनुज्ञप्तिधारियों की कार्यकुशलता में सुधार लाये जाने से संबंधित विषयों पर राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों से परामर्श प्राप्त किया गया व इन विषयों पर दिये गये परामर्श पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिये गये।

आयोग की वर्तमान संरचना

1.13 डॉ. जे.एल. बोस, जो कि राज्य के मुख्य सचिव स्तर के सेवानिवृत अधिकारी है, दिनांक 15 फरवरी, 2007 से आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत् है। श्री डी. रायवर्धन, सदस्य

(अभियांत्रिकी) दिनांक 18 जनवरी, 2008 को अपने कार्यभार से मुक्त हुए । श्री के.के. गर्ग ने दिनांक 21 जनवरी, 2008 को सदस्य (अभियांत्रिकी) का पदभार ग्रहण किया । श्री आर. नटराजन सदस्य (इकोनामिक्स) के पद पर कार्यरत् रहे। आयोग के सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–1 में संलग्न है।

अध्याय – 2

वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान जारी किये गये टैरिफ आदेशों की प्रमुख विशेषताएं

उत्पादन टैरिफ

2.1 **वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु विद्युत उत्पादन टैरिफ का सत्यापन** : आयोग ने मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु उत्पादन टैरिफ के सत्यापन बाबत् दायर की गई याचिका पर एक आदेश पारित किया है। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु पूर्व में टैरिफ आदेश दिनांक 25.1.2006 द्वारा टैरिफ का अवधारण किया गया था। आयोग ने आदेश के अंतर्गत रूपये 94.31 करोड़ के साथ–साथ रूपये 14.82 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी अनुज्ञेय की गई है। राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों से इस राशि की वसूली 12 बराबर किश्तों में की जावेगी।

2.2 **संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन, बिरसिंहपुर के अंतर्गत 1 x 500 मेगावाट विस्तार इकाई का टैरिफ** : आयोग द्वारा उपरोक्त हेतु, दिनांक 18.1.2008 को एक आदेश पारित किया गया है। चूकि संयंत्र का वाणिज्यिक प्रचालन उपलब्ध नहीं हो पाया है, अतः आयोग ने आदेश जारी किये हैं कि अस्थाई विद्युत प्रभारों (इन्फर्म पावर चार्जेस) की वसूली केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किये गये विनियमों/संशोधनों/स्पष्टीकरणों के अनुसार की जावेगी।

2.3 **मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा बोली प्रक्रिया के माध्यम से 600 मेगावाट विद्युत की उपाप्ति हेतु टैरिफ दर का अनुमोदन तथा लागू किया जाना** : मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की गई प्रकरण–1 बोली प्रक्रिया के अंतर्गत पाई गई टैरिफ दर को ग्राह्य करते हुए, आयोग ने दिनांक 7.3.2008 को आदेश पारित किया है। आयोग द्वारा मे. लेंको इन्फ्राटेक लिमिटेड से 600 मेगावाट की अध्याप्ति हेतु रूपये 2.34 प्रति किलोवॉट ऑवर की गणना अनुसार टैरिफ दर पर कतिपय निर्धारित शर्तो के अध्यधीन अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

2.4 **सरदार सरोवर परियोजना (6 x 200 + 5 x 50 मेगावाट) के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के विद्युत के 57 प्रतिशत अंशदान के उत्पादन टैरिफ (प्रावधिक) का अनुमोदन** : नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा दायर की गई याचिका क्र 3 वर्ष 2007, जो कि सरदार सरोवर

परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के विद्युत के 57 प्रतिशत अंशदान के अंतर्गत उत्पादन टैरिफ (प्रावधिक) के अनुमोदन से संबंधित है, पर आयोग द्वारा दिनांक 18.1.2008 को एक आदेश पारित किया गया है। आयोग द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के अंशदान हेतु प्रावधिक वार्षिक क्षमता (स्थाई प्रभार) का अवधारण किया गया है। ये प्रभार रूपये 289.76 करोड़ राशि के हैं तथा आयोग ने आयोग द्वारा जारी उत्पादन टैरिफ से संबंधित विनियम के अनुसार पूर्ण प्रावधिक वार्षिक क्षमता की 95 प्रतिशत सीमा तक की वसूली अनुज्ञेय की है। यह टैरिफ दर वर्तमान टैरिफ नियंत्रण अवधि हेतु प्रयोज्य होगी, अर्थात् दिनांक 31.3.2009 तक। आयोग ने याचिकाकर्ता को वास्तविक अंकेक्षित लेखे के अनुसार आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित निबंधन एवं शर्तो के अनुसार अंतिम टैरिफ दर के अनुमोदन हेतु समुचित याचिका दायर किये जाने हेतु निर्देशित किया है।

2.5 **मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के नवीन क्रियाशील किये गये मढ़ीखेड़ा (2 x 20 = 40 मेगावाट) (याचिका क्र. पी–102/2006) तथा बाणसागर झिन्ना (2 x 10 = 20 मेगावाट) (याचिका क्र. पी–103/2006) हेतु उत्पादन टैरिफ (प्रावधिक) का अनुमोदन :** मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लि. द्वारा क्रियाशील किये गये नवीन मढ़ीखेड़ा तथा बाणसागर जल–विद्युत परियोजनाओं हेतु उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन हेतु एक याचिका दायर की गई थी। इस संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 18.01.2008 को आदेश पारित किया गया। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मढ़ीखेड़ा जल–विद्युत परियोजना हेतु स्थाई प्रभार रूपये 25.37 करोड़ की राशि के अवधारित किये हैं। इसी प्रकार आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, बाणसागर IV जल–विद्युत स्टेशन हेतु प्रावधिक वार्षिक क्षमता प्रभार रूपये 16.94 करोड़ अवधारित किये गये है। आयोग ने आयोग द्वारा जारी उत्पादन टैरिफ से संबंधित विनियम के अनुसार, पूर्ण प्रावधिक वार्षिक क्षमता प्रभारों के 95 प्रतिशत सीमा तक की वसूली अनुज्ञेय की है। आयोग द्वारा अवधारित की गई टैरिफ दरें दिनांक 31.01.2009 तक प्रयोज्य होंगी। मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को उनके लेखे यथाशीघ्र अंतिम किये जाने तथा इन जल–विद्युत स्टेशनों हेतु अंतिम टैरिफ के अवधारण हेतु समुचित याचिका(एं) दायर किये जाने बाबत् भी निर्देशित किया गया ।

2.6 **वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु उत्पादन टैरिफ :** मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु उत्पादन टैरिफ की निरंतरता हेतु, नए प्रस्तावों सहित, एक याचिका दायर की गई थी। इसके पूर्व आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07, 2007–08 तथा

2008–09 हेतु उसके उत्पादन टैरिफ आदेश दिनांक 7.3.2006 द्वारा बहु–वर्षीय सिद्धांतों के अंतर्गत उत्पादन टैरिफ का अवधारण किया गया था। आयोग द्वारा जारी किये गये आदेश दिनांक 18.3.2008 के द्वारा कम्पनी को आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ दरों को वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु भी निरंतर रखे जाने हेतु अनुज्ञेय किया गया है। आयोग द्वारा याचिकाकर्ता की राजस्व अहर्ता के अनुसार अनुपालन मानदण्ड के पुनरीक्षण संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया गया है। आयोग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि जिस समय कंपनी द्वारा अंकेक्षित लेखे उक्त वर्ष हेतु, अभिप्रमाणित अनुपालन मानदण्डों के साथ प्रस्तुत किये जावेंगे, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा प्रस्तावित किये गये कतिपय विचलनों पर वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु उत्पादन टैरिफ के सत्यापन के दौरान विचार किया जावेगा।

<u>पारेषण टैरिफ</u>

2.7 **वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु पारेषण टैरिफ का सत्यापन तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पारेषण टैरिफ का अवधारण :** मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमीशन कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु पारेषण टैरिफ आदेश दिनांक 13.3.2006 के सत्यापन तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु पारेषण टैरिफ की निरंतरता बाबत्, नवीन प्रस्तावों के साथ, एक याचिका दायर की गई थी। इस संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 19.3.2008 को एक आदेश पारित किया गया है। इसके पूर्व, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 हेतु जारी किये गये पारेषण टैरिफ आदेश दिनांक 13.3.2006 द्वारा, बहुवर्षीय सिद्धांतों के आधार पर, पारेषण टैरिफ का अवधारण किया जा चुका है। आयोग द्वारा जारी किये गये वर्तमान आदेश के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2006–07 के पारेषण टैरिफ आदेश में रूपये 75.47 करोड़ का सत्यापन अनुज्ञेय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2008–09 के पारेषण टैरिफ की निरंतरता के साथ–साथ नवीन प्रस्तावों के संबंध में आयोग द्वारा निर्देश दिये गये कि पारेषण टैरिफ जैसा कि आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 13.3.2006 में, वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अंतर्गत अवधारित किया गया है, वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु भी जारी रखा जावेगा तथा किसी भी विचलन पर, जैसा कि वह वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा प्रस्तावित किया गया हैं, पर वित्तीय वर्ष 2008–09 के सत्यापन के समय विचार किया जावेगा जिस समय कंपनी द्वारा इन्हें अंकेक्षित लेखे तथा सत्यापित अनुपालन मानदण्डों के साथ उक्त वर्ष हेतु दायर किया जावेगा। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, पारेषण प्रभार की राशि रूपये 746. 92 करोड़ (अर्थात् रूपये 672.45 करोड़ जैसे कि ये आयोग द्वारा आदेश दिनांक 13.3.2006 के

अंतर्गत अवधारित किये गये है + रूपये 74.47 करोड़ जैसे कि ये वित्तीय वर्ष 2006–07 के पारेषण टैरिफ के सत्यापन आदेश में अवधारित किये गये हैं), होगी।

2.8 **वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) जबलपुर द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उदग्रहण तथा संग्रहण :** वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु उनके शुल्क तथा प्रभारों के अवधारण हेतु, मध्यप्रदेश राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दायर की गई याचिका पर आयोग ने दिनांक 18.1.2008 को एक आदेश जारी किया है। राज्य भार प्रेषण केन्द्र के रूपये 587.541 लाख के शुल्क तथा प्रभारों के दावे के विरूद्ध, आयोग द्वारा रूपये 379.42 लाख ही की राशि का अवधारण किया गया है।

गैर पारम्परिक स्त्रोतों हेतु टैरिफ दर

2.9 **बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन से विद्युत का अध्याप्ति हेतु टैरिफ आदेश :** आयोग ने बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन से विद्युत की अध्याप्ति हेतु दिनांक 7 अगस्त, 2007 को एक टैरिफ आदेश जारी किया है। दिनांक 31.3.2012 की समाप्ति पर्यन्त, इसकी नियंत्रण अवधि लगभग पांच वर्ष होगी।एकल भाग टैरिफ का अवधारण 20 वर्षो की अवधि हेतु निम्नानुसार किया गया है :

तालिका 1 : बायोमास विद्युत उत्पादन हेतु एकल–भाग टैरिफ दर

टैरिफ (रू./यूनिट)	**वर्ष 1 3.33**	**वर्ष 2 3.36**	**वर्ष 3 3.39**	**वर्ष 4 3.43**	**वर्ष 5 3.48**
टैरिफ (रू./यूनिट)	**वर्ष 6 3.53**	**वर्ष 7 3.59**	**वर्ष 8 3.65**	**वर्ष 9 3.71**	**वर्ष 10 3.79**
टैरिफ (रू./यूनिट)	**वर्ष 11 3..51**	**वर्ष 12 3.65**	**वर्ष 13 3.81**	**वर्ष 14 3.97**	**वर्ष 15 4.15**
टैरिफ (रू./यूनिट)	**वर्ष 16 4.33**	**वर्ष 17 4.52**	**वर्ष 18 4.71**	**वर्ष 19 4.92**	**वर्ष 20 5.14**

2.10 **पवन विद्युत उत्पादकों से विद्युत की अध्याप्ति हेतु टैरिफ आदेश :** आयोग ने पवन विद्युत उत्पादकों से विद्युत की अध्याप्ति हेतु दिनांक 21 नवंबर, 2007 को दिनांक 31.3.2012 को समाप्त होने वाली आगामी नियंत्रण अवधि बाबत् एक टैरिफ आदेश जारी किया है। बीस वर्षो हेतु एकल भाग टैरिफ का अवधारण निम्नानुसार किया गया है :

तालिका 2 : पवन विद्युत उत्पादकों हेतु एकल–भाग टैरिफ दर

टैरिफ	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5 से वर्ष 20
(रू./यूनिट)	4.03	3.86	3.69	3.52	3.36

पैरा 2.9 तथा 2.10 हेतु टीप : सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए उनके क्षेत्र में कुल खपत के कम से कम 10 प्रतिशत के समतुल्य खपत को गैर पारम्परिक ऊर्जा प्रदाय स्त्रोतों से क्रय करने का लक्ष्य रखा गया है जो कि इन स्त्रोतों से उपलब्धता के अध्यधीन होगा।

वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश

2.11 आयोग द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2008 को वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश जारी किया गया है। । सम्पूर्ण राज्य में टैरिफ की दरें एक समान रखी गई हैं । टैरिफ के अवधारण हेतु तीन वितरण कंपनियों, यथा मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा टैरिफ याचिकाएं दायर की गई थीं।

2.12 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित टैरिफ नीति में अपेक्षा की गई है कि वर्ष 2010–11 के अंत तक, समस्त उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ दर विद्युत प्रदाय की औसत लागत के +/– 20 प्रतिशत के अंतर्गत होनी चाहिए। तदनुसार, आयोग द्वारा दिनांक 12.10.2007 को एक प्रति–सहायतानुदान (क्रॉस सबसिडी) घटाये जाने संबंधी मार्गदर्शिका प्रकाशित की गई। विद्युत दरों के अवधारण हेतु, आयोग टैरिफ नीति के उपबंधों के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करता है तथा तदनुसार टैरिफ दरों को इस प्रकार अवधारित किया गया कि प्रति–सहायतानुदान प्राप्त करने वाली उपभोक्ता श्रेणी (घरेलू तथा कृषि) की दरों को युक्तियुक्त किया जावे तथा यथासंभव इन्हें टैरिफ नीति में निर्धारित सीमा के अंतर्गत लाया जावे। वित्तीय वर्ष 2007–08 में श्रेणीवार प्रति सहायतानुदान वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अधिसूचित मार्गदर्शिका तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के टैरिफ अवधारण उपरांत प्रति–सहायतानुदान का स्तर निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 3 : टैरिफ दर बनाम विद्युत प्रदाय की औसत लागत का तुलनात्मक अध्ययन

श्रेणी / उपश्रेणी	संबंधित वित्त वर्ष में औसत विद्युत प्रदाय की लागत के विरूद्ध औसत वसूली का प्रतिशत		
	वित्तीय वर्ष 2007–08 (टैरिफ आदेश दिनांक 30.3.2007 के अनुसार)	वित्तीय वर्ष 2008–09 (दिनांक 12 अक्टूबर, 2007 को अधिसूचित प्रति–सहायतानुदान में कमी लाये जाने संबंधी मार्गदर्शिका के अनुसार लक्ष्य)	वित्तीय वर्ष 2008–09 (वित्तीय वर्ष 08–09 हेतु टैरिफ आदेश के अनुसार प्रति–सहायतानुदान)
घरेलू	93%	93%	91%
गैर–घरेलू	152%	140%	146%
सार्वजनिक जल–प्रदाय संयंत्र	86%	90%	92%
पथ–प्रकाश	100%	100%	100%
निम्न दाब उद्योग	121%	121%	121%
कृषि (मीटरीकृत)	67%	67%	69 %
कृषि (अमीटरीकृत)	61%	67%	71%
रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	128%	126%	126%
कोयला खदाने (कोल माईन्स)	149%	140%	146%
औद्योगिक (उच्च दाब)	125%	124%	125%
गैर–औद्योगिक (उच्च दाब)	136%	131%	136%
उच्च दाब सिंचाई तथा जल–प्रदाय संयंत्र	88%	90%	92%
थोक आवासीय प्रयोक्ता (उच्च दाब)	97%	97%	97%
छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय (उच्च दाब)	80%	85%	92%

तालिका 4 : विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं की संक्षेपिका

क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	वित्तीय वर्ष	विद्युत विक्रय से राजस्व आय (करोड़ रूपये में)	गैर टैरिफ आय (करोड़ रूपये में)	सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (करोड़ रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2008–09/2009–10 के अंतर्गत आय तथा व्यय के बीच राजस्व अंतर (करोड़ रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु दायर किया गया राजस्व अंतर जिसे वित्तीय वर्ष 2008–09/वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्रयुत्सर्जित (अमॉर टाईज) किया जाना प्रस्तावित	वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु दायर किया गया राजस्व अंतर जिसे वित्तीय वर्ष 2008–09/वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्रयुत्सर्जित (अमॉर टाईज) किया जाना प्रस्तावित	दायर किया गया कुल राजस्व अंतर (करोड़ रूपये में)
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)=(ग)-(क)	(ङ.)	(च)	(छ)=(घ+ङ.+च)
पूर्व	2008- 09	2694.00	66.25	3335.04	641.04	166.18	168.06	975.28
	2009- 10	2877.00	72.06	3736.08	859.08	151.11	152.50	1162.69
पश्चिम	2008- 09	3314.04	76.3	3719.00	405.00	163.10	318.40	886.50
	2009- 10	3564.70	76.9	4027.6	462.90	148.30	289.60	900.80
मध्य	2008- 09	2594.05	37.60	3003.59	409.54	236.95	330.67	977.16
	2009- 10	2787.12	40.84	3259.85	472.75	215.45	300.06	988.26

तालिका 5 : अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु राजस्व अंतर की प्रस्तावित वसूली

क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	कुल राजस्व अंतर (करोड़ रूपये में)	टैरिफ पुनरीक्षण के कारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित राजस्व वृद्धि	विनियामक परिसम्पत्ति (करोड़ रूपये में)
पूर्व	975.28	130.0	845.28
पश्चिम	886.50	240.60	645.90
मध्य	977.16	183.88	793.28

2.13 आयोग ने अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ याचिकाओं तथा अनुज्ञप्तिधारियों की अतिरिक्त जानकारी संबंधी अहर्ताओं के प्रस्तुतिकरणों की समीक्षा की है। यहां पर यह उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ याचिकाओं की प्रस्तुतियों के अनुसरण में, आयोग द्वारा माह

जून 2005 से मार्च 2006 की अवधि हेतु तीन विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय लाभ/हानि के सत्यापन संबंधी आदेश दिनांक 16 जनवरी 2005 को जारी किये जा चुके हैं। इस प्रकार, कथित आदेश के अंतर्गत, इस प्रकार अवधारित किये गये अनुज्ञेय अतिरिक्त व्यय के कारण सत्यापन लागतों को प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी हेतु वित्तीय वर्ष 2008–08 की अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में उपभोक्ताओं से वसूली हेतु अनुमोदित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने माह जून 2005 से मार्च 2006 तक की अवधि हेतु मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी हेतु सत्यापन आदेश जारी किया है जो कि मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को विद्युत वितरण कंपनियों से रूपये 109.13 करोड़ की अतिरिक्त राशि की वसूली किया जाना अनुज्ञेय करता है। इस आदेश में, इस राशि को तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को माह जून 2005 से मार्च 2006 की अवधि के दौरान उनके द्वारा किये गये कुल विद्युत क्रय के अनुपात में अंतरित किया गया है। इसी के साथ–साथ, वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के सत्यापन संबंधी आदेश के अंतर्गत आयोग के आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु विद्युत वितरण कंपनियों को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में से रूपये 74.47 करोड़ की अतिरिक्त राशि वसूल किया जाना अनुज्ञेय किया गया है।

2.14 वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उनकी टैरिफ याचिकाओं में निम्न दर्शाये अनुसार टैरिफ वृद्धि प्रस्तावित की गई :

तालिका 6 : वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तावित की गई टैरिफ वृद्धि

अनुज्ञप्तिधारी	*चालू टैरिफ दर के अनुसार राजस्व (करोड़ रूपये में)*	*प्रस्तावित टैरिफ दर के अनुसार अतिरिक्त अनुमानित राजस्व (करोड़ रूपये में)*	*अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित की गई प्रतिशत अभिवृद्धि*
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	3314.04	240.60	7.26 %
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	2694.00	130.00	4.8 0%
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	2594.00	183.88	7.08 %
सम्पूर्ण राज्य	8602.04	554.48	6.44 %

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पश्चिम, पूर्व तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा क्रमशः 7.26 प्रतिशत, 4.80 प्रतिशत एवं 7.08 प्रतिशत अभिवृद्धि प्रस्तावित की गई थी जो कि समग्र रूप से 6.44 प्रतिशत वृद्धि के बराबर है।

2.15 विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई राजस्व की आवश्यकता एवं आयोग द्वारा इसकी युक्तियुक्त आधार पर जांच उपरांत अनुमोदित की गई राशि निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 7 : पुनरीक्षित टैरिफ से राजस्व

	विवरण	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	सम्पूर्ण राज्य हेतु
	राजस्व अंतर, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर किया गया	975.28	886.50	977.16	2838.94
क	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित दरों पर अनुमानित राजस्व	2779.53	3527.88	2694.06	9001.47
ख	वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (अन्य आय का छोड़कर)	2832.23	3367.01	2689.79	8889.03
ग = क-ख	वित्तीय वर्ष 2008–09 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता एवं अनुमानित राजस्व का अंतर	(52.7)*	160.87	4.27	112.44
घ	अवधि जून 05 से मार्च 06 तक एमपी जेनको के सत्यापन के कारण अतिरिक्त राजस्व (अंतर)/ आधिक्य	(32.27)	(41.77)	(35.10)	(109.14)
ड.	अवधि जून 05 से मार्च 06 तक म.प्र. राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों के सत्यापन के कारण अतिरिक्त राजस्व (अंतर)/ आधिक्य	85.48	(118.27)	31.69	(1.10)
ग+घ+ड.	वित्तीय वर्ष 2008–09 की टैरिफ दरों के अनुसार कुल राजस्व (अंतर)/ आधिक्य	0.51	0.83	0.86	2.20

*** ( ) का तात्पर्य कमी से है।**

2.16 आयोग द्वारा इसके साथ–साथ राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार टैरिफ रूपांकन (डिजाईन) को भी युक्तियुक्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2007–2008 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2008–09 में विद्युत प्रदाय की औसत लागत में 9 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि बढ़कर रूपये 3.69 पैसे प्रति यूनिट हो गई है।

2.17 वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, मध्यप्रदेश शासन द्वारा वितरण हानियों हेतु अधिसूचित वार्षिक निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार अनुज्ञेय हानि स्तर, जिनके आधार पर टैरिफ दरों का अवधारण किया गया है, निम्नानुसार दर्शाये गये हैं :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी : 29.5 प्रतिशत

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी : 27.0 प्रतिशत

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी : 37.0 प्रतिशत

2.18 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की टैरिफ याचिकाओं का परीक्षण करते समय, आयोग को राज्य शासन से पत्र क्रमांक 1/79/13/08 दिनांक 20.2.2008 प्राप्त हुआ, जिसका आशय निम्नानुसार है :

" कम से कम निकट भविष्य में राज्य भर में एक ही श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु विद्युत दरें एक समान रखी जानी चाहिए"

वित्तीय वर्ष 2008–09 में तीनों वितरण कंपनियों के बीच राजस्व घाटे/बचतों में संतुलन के प्रयोजन से तथा इसी के साथ–साथ राज्य भर में एक समान खुदरा टैरिफ को बनाये रखे जाने की दृष्टि से आयोग द्वारा पुनः सचिव, (ऊर्जा), म.प्र. शासन से विचार–विमर्श कर राज्य शासन को विद्युत वितरण कंपनियों तथा म.प्र. ट्रेडको के बीच विद्यमान तथा नवीन विद्युत उत्पादन क्षमताओं के पुर्नावटंन हेतु, परामर्श दिय ागया । इसे मध्यप्रदेश शासन को आयोग के पत्र क्र. 624 दिनांक 14 मार्च, 2008 द्वारा संसूचित किया गया। राज्य शासन ने उनकी अधिसूचना क्रमांक 2088–एफआरएस–4–XIII– 2001 दिनांक 19 मार्च, 2008 द्वारा उनकी पूर्व अधिसूचना दिनांक 14 मार्च, 2007 को पुनरीक्षित किया गया।

2.19 आयोग ने सम्पूर्ण राज्य हेतु चालू टैरिफ पर रूपये 8759.95 करोड़ की राजस्व आय अनुमानित की है तथा 2.76 प्रतिशत की समग्र टैरिफ वृद्धि अनुज्ञेय की है। निम्नदाब/ उच्चदाब श्रेणियों हेतु टैरिफ दर में अभिवृद्धि निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 8 : आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ

सम्पूर्ण राज्य हेतु	*चालू टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2007–08) पर आयोग द्वारा राजस्व आय का अनुमान*	*अनुमोदित टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2008–09) पर आयोग द्वारा राजस्व आय का अनुमान*	*राजस्व आय में अभिवृद्धि/ कमी*	*प्रतिशत अभिवृद्धि*
निम्नदाब	5097.78 करोड़	5238.10 करोड़	140.32 करोड़	2.75%
उच्चदाब	3662.17 करोड़	3763.37 करोड़	101.20 करोड़	2.76%
योग	8759.95 करोड़	9001.47 करोड़	241.52 करोड़	2.76%

2.20 विद्युत वितरण कंपनियों को अत्यावश्यक आधार पर अमीटरीकृत घरेलू, गैर–घरेलू तथा कृषि संयोजनों पर मीटर प्रदान करने अथवा यदि वैयक्तिक मीटरीकरण संभव न हो तो वितरण ट्रांसफार्मरों पर मीटर प्रदान करने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये हैं। विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत संयोजनों हेतु कम टैरिफ का प्रावधान किया गया है।

2.21 निम्नदाब उपभोक्ता श्रेणीवार प्रमुख विशेषताएं

(1) घरेलू श्रेणी :

(i) घरेलू श्रेणी के ऊर्जा प्रभारों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

(ii) आयोग द्वारा 30 यूनिट प्रतिमाह विद्युत खपत करने वाले उपभोक्ताओं को, जिनकी भुगतान क्षमता कम है, ''लाईफ लाईन'' उपभोक्ता माना गया है, इनकी दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इनके लिए दरें (पूर्व वर्ष के अनुरूप) 265 पैसे प्रति यूनिट रखी गई हैं जो केवल मीटरीकृत उपभोक्ताओं को ही लागू होगी।

(iii) 30 यूनिट से अधिक तथा 50 यूनिट प्रतिमाह तक विद्युत खपत करने वाले उपभोक्ताओं हेतु दर (पूर्व वर्ष के अनुरूप) 270 पैसे प्रति यूनिट यथावत जारी रखी गई है।

(iv) इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जहाँ तक विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता का प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता, शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की तुलना में अलाभकारी स्थितियों में हैं, आयोग ने ऐसे उपभोक्ताओं हेतु स्थाई प्रभार में कोई वृद्धि नहीं की है।

(v) 100 यूनिट प्रति माह से अधिक विद्युत खपत करने वाले उपभोक्ताओं हेतु, स्थाई प्रभारों में रूपये 10 प्रति किलोवाट की न्यूनतम वृद्धि की गई है।

(vi) शहरी घरेलू अमीटरीकृत उपभोक्ताओं से कुल 77 यूनिट प्रतिमाह खपत हेतु टैरिफ 305 पैसे प्रति यूनिट की दर से वसूल किया जावेगा।

(vii) ग्रामीण घरेलू अमीटरीकृत उपभोक्ताओं से कुल 30 यूनिट प्रति माह खपत हेतु टैरिफ 265 पैसे प्रति यूनिट की दर से वसूल किया जावेगा।

(2) गैर–घरेलू श्रेणी

(i) गैर–घरेलू श्रेणी हेतु ऊर्जा प्रभारों में 8 पैसे प्रति यूनिट (– 1.45 प्रतिशत) की कमी की गई है।

(ii) गैर–घरेलू श्रेणी के अंतर्गत शासकीय शालाओं हेतु एक नवीन उप–श्रेणी का सृजन किया गया है जिसमें ऊर्जा प्रभार की कम दरों का प्रावधान किया गया है (गैर–घरेलू श्रेणी के अंतर्गत सामान्य टैरिफ दर से 37 पैसे प्रति यूनिट कम दर पर)

(iii) क्ष–किरण (एक्स–रे) इकाई को न्यूनतम खपत की गणना से पृथक रखा गया है।

(3) सार्वजनिक जल–प्रदाय संयंत्र एवं पथ–प्रकाश (स्ट्रीट लाईटिंग) :

(i) सार्वजनिक जल–प्रदाय संयंत्र श्रेणी के अंतर्गत उपभोक्ताओं हेतु स्थाई प्रभारों में रूपये 20 प्रति किलोवाट की वृद्धि की गई है तथा स्ट्रीट लाईट (पथ–प्रकाश) श्रेणी के अंतर्गत स्थाई प्रभारों में रूपये 10 प्रति किलोवाट प्रतिमाह की वृद्धि की गई है।

(ii) नगरपालिक निगम/छावनी बोर्ड, नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत के अंतर्गत जल प्रदाय संयंत्रों के उपभोक्ताओं हेतु ऊर्जा प्रभारों में वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु ऊर्जा प्रभारों की लागू दर में 15 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।

(iii) नगर पालिक निगम/छावनी बोर्ड, नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत के अंतर्गत पथ–प्रकाश के उपभोक्ताओं हेतु ऊर्जा प्रभारों में वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु ऊर्जा प्रभारों की लागू दर में 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।

(iv) उच्चदाब तथा निम्नदाब श्रेणियों के अंतर्गत, सार्वजनिक जल–प्रदाय संयंत्रों तथा पथ–प्रकाश हेतु, ऊर्जा के दक्ष उपायों को अपनाये जाने पर ऊर्जा प्रभारों में 5 प्रतिशत कमी कर प्रोत्साहन दिये जाने का नवीन प्रावधान किया गया है।

(4) निम्नदाब उद्योग :

(i) शहरी क्षेत्र में 25 अश्वशक्ति तक, स्थाई प्रभार रूपये 5 प्रति अश्वशक्ति घटा दिये गये हैं।

(ii) 25 अश्वशक्ति से अधिक के निम्नदाब उद्योगों हेतु, ऊर्जा प्रभारों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(iii) विद्युत प्रदाय की औसत लागत में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होने के बावजूद, 25 अश्वशक्ति से अधिक निम्नदाब उद्योगों हेतु केवल स्थाई प्रभारों में 10 प्रतिशत वृद्धि की गई है जिसके अनुसार कुल समग्र वृद्धि मात्र 2 प्रतिशत ही हुई है।

(5) कृषि श्रेणी :

(i) ऊर्जा प्रभारों में 15 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि दर्ज किये जाने के बावजूद, पिछले वर्ष की तुलना में कृषि श्रेणी के अंतर्गत उपभोक्ता अंशदान भाग में कमी हुई है।

(ii) वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत उपभोक्ताओं की टैरिफ दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(iii) कृषि उपभोक्ताओं हेतु, ऊर्जा बचत उपकरण लगाये जाने पर ऊर्जा प्रभारों की छूट में डेढ़ गुना की वृद्धि की गई है । इसके अतिरिक्त, छूट को अब उपभोक्ता अंशदान भाग पर अनुज्ञेय किया जावेगा।

(iv) कुक्कुट पालन (पोल्ट्री फार्म), डेरी, नर्सरी, रेशम पालन (सेरीकल्चर), एक्वाकल्चर आदि को टैरिफ अनुसूची एल–वी 5 के अंतर्गत उप–श्रेणी में लाया गया है जिसके अंतर्गत 25 अश्वशक्ति से अधिक हेतु कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है तथा शहरी क्षेत्रों हेतु, स्थाई प्रभारों में रूपये 5 प्रति केवीए की कमी की गई है।

(6) उच्चदाब उपभोक्ता श्रेणी :

(i) समस्त उपभोक्ताओं हेतु, अग्रिम भुगतान हेतु छूट को 0.5 प्रतिशत प्रतिमाह से बढ़ाकर 1 प्रतिशत प्रतिमाह कर दिया गया है।

(ii) 80 प्रतिशत से अधिक भार–कारक दर्ज करने वाले उपभोक्ताओं हेतु, भार–कारक रियायतों में वृद्धि की गई है।

(iii) विद्युत प्रदाय की औसत लागत में 9 पैसे प्रति यूनिट (2.5 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज किये जाने के बावजूद, रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन) हेतु ऊर्जा प्रभारों में 5 पैसे प्रति यूनिट (1.09 प्रतिशत) की वृद्धि की गई है,

(iv) विद्युत प्रदाय की, औसत लागत में 9 पैसे प्रति यूनिट(2.5 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज किये जाने के बावजूद, कोयला खदानों (कोल माईन्स) हेतु ऊर्जा प्रभारों में 7 पैसे प्रति यूनिट की कमी (1.3 प्रतिशत) की गई है ।

(v) कोयला खदानों हेतु, टैरिफ में टाईम आफ डे अधिभार/छूट को सम्मिलित किया गया है।

(vi) उच्चदाब उद्योगों हेतु, स्थाई प्रभारों में 11 केवी हेतु रूपये 10 प्रति केवीए तथा 33 केवी एवं 132 केवी हेतु रूपये 20 प्रति केवीए की वृद्धि दर्ज की गई है।

(vii) 33 केवी तथा 132 केवी हेतु, ऊर्जा प्रभारों में 6 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है जबकि 11 केवी उच्चदाब उद्योग दर में कोई परिवर्तन नही किया गया है।

(viii) उच्चदाब गैर–औद्योगिक श्रेणी एवं उच्चदाब तथा निम्नदाब मौसमी (सीजनल) उपभोक्ताओं की टैरिफ दरों में कोई परिवर्तन नही किया गया है।

(ix) एचवी–3 टैरिफ अनुसूची के अंतर्गत शॉपिंग मॉल हेतु एक पृथक श्रेणी का सृजन किया गया है।

(x) उच्चदाब सार्वजनिक जल–प्रदाय तथा सिंचाई श्रेणी के स्थाई प्रभारों में 11 केवी हेतु रूपये 10 प्रति केवीए, 33 केवी हेतु रूपये 15 प्रति केवीए तथा 132 केवी हेतु रूपये 20 प्रति केवीए की वृद्धि की गई है।

(xi) उच्चदाब समस्त जल प्रदाय संयंत्रों तथा सिंचाई श्रेणी के ऊर्जा प्रभारों में 15 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।

(xii) अन्य उच्चदाब कृषि प्रयोक्ताओं हेतु, टैरिफ दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(xiii) उच्चदाब थोक आवासीय श्रेणी के अंतर्गत, ऊर्जा प्रभारों में 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है तथा भार–कारक रियायत दर लागू की गई है।

अध्याय – 3

वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान जारी किये गये विनियम / विनियमों में संशोधन तथा परिवर्धन

मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्दिष्ट किया गया है कि आयोग, अधिसूचना जारी कर, इन अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार अधिनियमों के उपबंधों के परिपालन हेतु सुसंगत विनियम बना सकेगा । तद्नुसार, आयोग द्वारा समय–समय पर विनियम जारी किये गये हैं तथा इस संबंध में उपरोक्त दर्शाये गये अधिनियमों में उपलब्ध लगभग समस्त उपबंधों को सम्मिलित कर लिया गया है । वर्ष 2007–08 के दौरान विनियमों तथा विनियमों के संशोधनों तथा परिवर्धनों की सूची परिशिष्ट – 2 में संलग्न है ।

अध्याय – 4

अनुज्ञप्तिधारियों की उपभोक्ता सेवाएं, विनियामक परिपालन तथा अनुपालन मानदण्ड

4.1 प्रतिवेदन की विचाराधीन अवधि में, आयोग ने उपभोक्ता सशक्तिकरण की दिशा में उपभोक्ताओं द्वारा उनके अधिकारों के प्रयोग तथा समग्र विकास हेतु उपभोक्ताओं को उनके दायित्वों के प्रति जागरूकता लाये जाने के संबंध में पहल की है। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपभोक्ता सेवाओं, विनियामक परिपालन तथा अनुपालन मानदण्डों से संबंधित विषयों पर की गई पहल एवं इनका अनुवीक्षण जो कि वर्ष के दौरान किया गया है, का संक्षिप्त विवरण निम्न परिच्छेदों में दिया गया है :

अनुपालन मानदण्ड

4.2 आयोग द्वारा अनुपालन मानदण्डों संबंधी विनियम विनिर्दिष्ट किये गये हैं जिनका अनुसरण विद्युत वितरण कंपनियों तथा ट्रांसमीशन (पारेषण) कंपनी द्वारा किया जाना है। आयोग द्वारा समस्त प्रचालनीय मानदण्ड, जिनका अनुसरण राज्य के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वर्ष के दौरान किया गया है, का अनुवीक्षण किया गया है तथा आयोग की अनुज्ञप्तिधारियों से निरंतर संवाद की प्रक्रिया जारी है ताकि जहां–जहां आवश्यकता हो इनमें वांछित सुधार किया जा सके। इन प्रचालनीय अनुपालन मानदण्डों में सम्मिलित है, फ्यूज ऑफ कॉल के निवारण, उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय की त्रुटि में सुधार, मापयंत्र (मीटर) शिकायतों, बिलिंग में त्रुटियां, खराब मीटर/ ट्रांसफामरों को बदलने, उपभोक्ता शिकायतों के निपटान आदि हेतु विनिर्दिष्ट की गई समय सीमाएं। इन विनियमों में कंपनियों द्वारा प्रदाय की गई सेवाओं में होने वाले विलंब के कारण उपभोक्ताओं को भुगतान योग्य क्षतिपूर्ति को भी विनिर्दिष्ट किया गया है।

4.3 आयोग ने इस वर्ष अनुज्ञप्तिधारी से उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त की जा रही सेवाओं के प्रति उनके अधिकारों बाबत् जागरूकता लाये जाने के संबंध में एक अनूठी पहल भी की है। पर्चो के वितरण द्वारा एक अभियान वृहद रूप में प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत पर्चों में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के विवरण, निर्दिष्ट अवधि जिनके

अंतर्गत ये सेवाएं उनके द्वारा प्रदान की जानी चाहिए तथा उपभोक्ताओं को प्रदाय की गई सेवाओं में विलम्ब के प्रकरणों में देय क्षतिपूर्ति के विवरण दर्शाए गये हैं। प्रथम–चरण में, विद्युत वितरण कंपनियों के माध्यम से 6 लाख ऐसे पर्चे भोपाल, जबलपुर तथा इंदौर शहरों में वितरित किये गये हैं। तत्पश्चात् आयोग ने इन शहरों में उसके अधिकारियों को भेजकर पर्चो के वितरण के सत्यापन का कार्य हाथ में लिया है। भविष्य में भी ऐसे पर्चो का वितरण राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी किया जाना प्रस्तावित है।

4.4 आयोग ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाये जाने बाबत् कई कदम उठाने में उसके द्वारा पहल की गई है। इनमें से कुछ का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है :–

(1) **रिक्त पदों को भरे जाने बाबत् :** आयोग ने अनुमोदित संगठनात्मक संरचना के अनुसार वर्ष के दौरान नये अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की है ताकि उपभोक्ता सेवाओं के अनुवीक्षण हेतु और अधिक सक्रियता से प्रयास किये जा सकें।

(2) **केन्द्रीय शिकायत निवारण केन्द्रों (कॉलसेन्टर्स) की स्थापना :–** आयोग द्वारा की गई पहल पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों ने इंदौर, भोपाल तथा जबलपुर में केन्द्रीय शिकायत निवारण केन्द्रों (काल सेंटर्स) की स्थापना की है। ये शिकायत निवारण केन्द्र इन शहरों में चौबीस घंटे उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करते हैं।

(3) **उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरमों का पुनर्गठन :–** विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरमों की स्थापना माह अक्टूबर/नवंबर, 2004 में की गई थी। राज्य में तीन विद्युत वितरण कंपनियां कार्यरत् हैं तथा प्रत्येक वितरण कंपनी ने एक–एक फोरम की स्थापना की है। इन फोरमों के मुख्यालय इंदौर, भोपाल तथा जबलपुर में स्थित है। इन फोरमों द्वारा, शिकायतों के निपटान हेतु परिवेदित उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न अन्य स्थानों पर भी सुनवाईयां आयोजित की जाती हैं। इन तीनों फोरमों द्वारा प्रतिवर्ष औसतन 1500 शिकायतों का पंजीकरण किया जाता है । भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार इन फोरमों का पुनर्गठन दिनांक 1 जनवरी, 2008 से प्रभावशील किया गया है। वर्ष के दौरान फोरमों द्वारा शिकायतों के निवारण संबंधी विवरण परिशिष्ट–3 में दर्शाये गये हैं।

(4) **शिकायत निवारण केन्द्रों पर शिकायतों का ऑनलाईन पंजीकरण :–** जबलपुर, इंदौर, भोपाल स्थित शिकायत निवारण केन्द्रों (काल सेन्टर्स) पर शिकायतों के ऑनलाईन पंजीकरण की एक सुविधा भी प्रारंभ की गई है। इन शहरों में स्थित उपभोक्तागण उनकी शिकायतों का पंजीकरण विद्युत वितरण कंपनी की वैबसाईट के माध्यम से कर सकते हैं तथा वैबसाईट से शिकायत निवारण की अद्यतन स्थिति की जांच भी कर सकते हैं।

(5) **फोरम स्तर पर दर्ज की गई शिकायतों के निवारण की स्थिति की ऑनलाईन समीक्षा :–** दिनांक 1 जनवरी 2008 से शिकायतकर्ताओं को उनके द्वारा फोरम स्तर पर दर्ज की गई शिकायतों के निवारण की स्थिति का अवलोकन किये जाने बाबत् ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। शिकायत निवारण की वस्तुस्थिति का अवलोकन इंटरनेट के माध्यम से आयोग की वैबसाईट पर किया जा सकता है।

(6) **विद्युत लोकपाल की नियुक्ति :–** विद्युत लोकपाल की नियुक्ति की जा चुकी है तथा वर्तमान में वह क्रियाशील है। वे शिकायतकर्ता जो फोरम द्वारा पारित निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, विद्युत लोकपाल को अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। विद्युत लोकपाल द्वारा वर्ष के दौरान औसतन 60 प्रकरण प्राप्त/निपटान किये जाते हैं।वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये तथा निपटान किये गये प्रकरणों के विवरण तथा विद्युत लोकपाल का माह अक्टूबर, 07 से मार्च, 08 की अवधि का छमाही प्रतिवेदन (हिन्दी रूपांतरण) परिशिष्ट–4 पर दर्शाये गये हैं।

(7) **उपभोक्ता संबंधी विषयों पर गैर–शासकीय संगठनों (एनजीओ) को संबद्ध किया जाना :–** आयोग के मतानुसार उपभोक्ता हितों के संरक्षण में गैर–शासकीय संस्थाओं को सन्निहित किया जाना, /उनकी सहायता प्राप्त किया जाना काफी सहायक सिद्ध होगा। अतएव, आयोग ने एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु गैर शासकीय संस्थाओं को अभियान में भाग लेने हेतु, आमंत्रित किया था। आयोग द्वारा अभी तक लगभग 125 गैर–शासकीय संस्थाओं का पंजीकरण किया जा चुका है। आयोग द्वारा एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से गैर–शासकीय संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ के अवधारण की सुनवाई के दौरान उन्हें उपभोक्ताओं की ओर से भाग लेने हेतु तथा उनके विचार/सुझाव प्रस्तुत किये जाने हेतु आमंत्रित किया गया। इन गैर–शासकीय संस्थाओं हेतु एक पृथक सुनवाई दिनांक 18 फरवरी 2008 को आयोजित की गई।

इसके पूर्व माह अगस्त, 2007 में गैर–शासकीय संस्थाओं हेतु ''उपभोक्ता जागरूकता'' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। गैर–शासकीय संस्थाओं के उपभोक्ता को सेवाऐं प्राप्त करने के अधिकारों बाबत्, उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित सुसंबद्ध जानकारी/ विनियम प्रदान किये गये तथा उन्हें उनके कार्यक्षेत्र में उपभोक्ताओं के बीच इनका प्रचार–प्रसार किये जाने का भी अनुरोध किया गया। एक एकांकी नाटक, जो विद्युत अधिनियम, 2003 के महत्वपूर्ण उपबंधों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों तथा दायित्वों का प्रभावशील ढंग से चित्रण करता है, का भी आयोजन भी इसके प्रचार–प्रसार हेतु किया गया।

(8) **तत्काल (स्पाट) बिलिंग :–** उपभोक्ताओं की मीटर वाचन तथा बिलिंग संबंधी शिकायतों में कमी लाये जाने की दृष्टि से, आयोग ने तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को तत्काल बिलिंग (स्पाट बिलिंग) प्रारंभ किये जाने संबंधी निर्देश प्रसारित किये हैं। यह योजना भोपाल शहर में प्रारंभ की जा चुकी है तथा अन्य विद्युत वितरण कंपनियों को भी इस योजना को प्रारंभ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(9) **देयक भुगतान की सरल सुविधा :–** आयोग प्रारंभ से ही विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत देयकों के भुगतान हेतु उपभोक्ताओं की सुविधाओं में वृद्धि किये जाने हेतु आग्रह करता रहा है। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र **में किसी भी समय–कहीं भी** पटलों के माध्यम से, 24 स्थानों पर देयक भुगतान सुविधा प्रारंभ की जा चुकी है । 9 पटल जबलपुर में, 4 पटल रीवा में तथा 3 पटल सागर में तथा कंपनी के 8 अन्य नगरों में भी प्रत्येक नगर में एक पटल ऐसे कार्यरत् हैं। उपभोक्तागण इन पटलों पर बिना किसी असुविधा तथा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, किसी भी समय उनके देयकों का भुगतान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, **कहीं भी भुगतान सुविधा** जबलपुर के 12 पटलों पर प्रारंभ की जा चुकी है।

इसी प्रकार, भोपाल शहर में भी 22 संग्रहण पटल कार्यरत् हैं जहां पर **कहीं भी भुगतान सुविधा** उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस योजना को, राज्य के अन्य भागों में भी विस्तार किये जाने के प्रयास जारी हैं। इसके अलावा, आयोग ने विद्युत वितरण कंपनियों को, संग्रहण केन्द्रों पर उचित सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने संबंधी निर्देश भी जारी किये हैं।

(10) **विद्युत प्रदाय संहिता समीक्षा समिति** : एक विद्युत प्रदाय संहिता समीक्षा समिति (पैनल), जिसमें उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गो तथा विद्युत वितरण कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल किये गये हैं, का गठन आयोग द्वारा किया गया है। यह समिति लगभग 3 वर्षों से कार्यरत् है। विद्युत प्रदाय

संहिता के उपबन्धों की समीक्षा हेतु यह समीक्षा दल प्रत्येक 6 माह के अंतराल से बैठकों का आयोजन करता है। समीक्षा दल उन कठिनाईयों के संबंध में विचार करता है जिनका उपभोक्ताओं तथा कंपनियों द्वारा विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में, यदि वे विद्यमान हैं, सामना किया जा रहा है तथा आयोग को इसमें समुचित सुधार किये जाने बाबत् अपने सुझाव देता है।

(11) **आयोग द्वारा आयोजित कार्यशालाएं :** वर्ष के दौरान, आयोग द्वारा (1) गैर–शासकीय संस्थाओं के साथ उपभोक्ता जागरूकता पर कार्यशाला (2) मीटरीकरण में सुधार हेतु मीटरिंग कार्यशाला तथा (3) ऊर्जा कार्यकुशलता तथा मांग पक्ष प्रबंधन पर, कार्यशालाओं का आयेाजन किया गया। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य, विभिन्न हितधारकों के मध्य विचारों के आदान–प्रदान हेतु एक सामान्य मंच प्रदान करना है, जिससे बेहतर कार्यप्रणाली की जानकारी, उसे अपनाए जाने बाबत् प्राप्त की जा सके ताकि उपभोक्ता सेवाओं तथा कंपनियों की प्रचालन कार्यकुशलता में आवश्यक सुधार लाये जा सकें।

(12) **न्यूजलेटर का प्रकाशन :** आयोग द्वारा उसके न्यूजलेटर का प्रकाशन प्रारंभ किया जा चुका है। वर्ष के दौरान, दो अंकों का प्रकाशन किया गया है।

4.5 **विनियमन परिपालन :** आयोग द्वारा विनियमन परिपालन पर विनियम जारी किये गये हैं, जिनके अंतर्गत, अनुज्ञप्तिधारियों को परिपालन के प्रतिवेदक अधिकारी, जो कि आयोग के साथ नियमित आधार पर विचार–विमर्श करेंगे तथा जो विनियमन परिपालन सबंधी विषयों पर नियमित रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आयोग विभिन्न विनियमों के अंतर्गत प्रदत्त दिशा–निर्देशों से संबंधित परिपालन की अद्यतन स्थिति की नियतकालिक रूप से समीक्षा करता रहा है तथा विनियमन परिपालन में सुधार लाये जाने की दृष्टि से इस हेतु अग्रिम कदम भी उठाता रहा है। वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु वार्षिक समीक्षा तथा माह अप्रैल से सितंबर, 2007 की छमाही समीक्षा की गई। आयोग द्वारा आगे और सुधार लाये जाने की दृष्टि से विद्युत वितरण कंपनियों को आयोग की अभ्युक्तियां/दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं। ये प्रतिवेदन आयोग की वैबसाईट पर प्रदर्शित किये गये हैं।

अध्याय : 5

वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु आयोग का वार्षिक लेखा

5.1 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 103 के उपबंधों के अनुसार, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग कोष स्थापित किया जा चुका है, जिसमें विभिन्न आय शीर्षों के अंतर्गत रूपये 5,33,24,631/– की आय प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान विभिन्न शीर्षो के अंतर्गत राजस्व व्यय रूपये 1,85,18,589/– तथा पूंजीगत व्यय रूपये 1,70,84,422/– हुआ है। विवरण परिशिष्ट –5 में संलग्न हैं। राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड से कार्यालय भवन के क्रय हेतु रूपये 2,24,90,000/– की ऋण राशि के विरूद्ध, तृतीय तथा अंतिम किस्त के रूप में रूपये 74,96,000/– की राशि का भुगतान राज्य शासन को किया जा चुका है।

परिशिष्ट – 1

आयोग के वर्तमान अध्यक्ष तथा आयोग के सदस्यों के विवरण

सरल क्र.	नाम	पदनाम	कार्य ग्रहण तिथि	कार्यकाल समापन की तिथि
1	डॉ. जे.एल. बोस	अध्यक्ष	15.02.2007	11.01.2010
2.	श्री के.के. गर्ग	सदस्य (अभियांत्रिकी)	21.01.2008	10.12.2011
3	श्री सी.एस. शर्मा	सदस्य (इकोनामिक्स)	09.07.2008	08.07.2013

परिशिष्ट – 2

दिनांक 01.04.2007 से दिनांक 31.03.2008 तक जारी किये गये विनियमों की सूची

क्र.	विनियम का नाम	जारी करने का दिनांक	अधिसूचना दिनांक	विशेष
1	म.प्र.वि.नि.आ. (राज्य शासन द्वारा राज्यानुदान, अर्थात् सबसिडी भुगतान करने की रीति) विनियम, 2007 **(जी–32, वर्ष 2007)**	11.5.2007	18.05.2007	अंतिम
2	मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (बारहवां संशोधन) **(एजी–1(xii), वर्ष 2007)**	19.7.2007	27.07.2007	अंतिम
3	बारहवें संशोधन का शुद्धि पत्र	11.6.2007	15.6.2007	अंतिम
4	मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (तेरहवां संशोधन) **(एजी–1(xiii), वर्ष 2007)**	12.6.2007	22.06.2007	अंतिम
5	मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (चौदहवां संशोधन) **(एजी–1(xiv), वर्ष 2007)**	20.6.2007	06.07.2007	अंतिम
6	मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता 2006 में प्रथम संशोधन **(एजी–29 (i), वर्ष 2007)**	23.6.2007	06.07.2007	अंतिम
7	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य शासन द्वारा राज्यानुदान अर्थात सबसिडी भुगतान करने की रीति) विनियम, 2007 का शुद्धि पत्र	27.6.2007	6.7.2007	अंतिम
8	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रभार निर्धारण की पद्धति एवं सिद्धांत तथा विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वसूली योग्य विविध प्रभारों की अनुसूची) विनियम, 2006 (प्रथम संशोधन) {ए (आरजी–22(**i**), वर्ष 2007)}	10.7.2007	20.7.2007	अंतिम
9	विद्युत प्रदाय संहिता के चौदहवे संशोधन का शुद्धि पत्र	19.7.2007	27.7.2007	अंतिम
10	मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता में तृतीय संशोधन {(ए (आरजी–14(1) **(iii),** वर्ष 2007}	19.7.2007	27.7.2007	अंतिम
11	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय लाईन प्रदाय करने का अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा प्रभारों की वसूली) विनियम, 2006 (प्रथम संशोधन) (एजी–31 **(i),** वर्ष 2007	13.8.2007	24.8.2007	अंतिम
12	विद्युत चोरी पाये जाने पर विद्युत लाईन के संयोजन विच्छेद संबंधी प्राधिकार की अधिसूचना {(विद्युत संशोधन अधिनियम 2007 की धारा 13 (1 ए) का प्रथम उपबंध}	18.10.2007	2.11.2007	अंतिम
13	मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 (पन्द्रहवां संशोधन) (एजी–1 **(xv),** वर्ष 2008)	22.2.2008	29.2.2008	अंतिम

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरमों द्वारा वर्ष 2007–08 में शिकायतों के निपटान का विवरण					
विद्युत उपभोक्ता फोरम – पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी					
क्रमांक	जिला	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत की गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.08 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	इन्दौर	05	144	134	15
2	धार	–	34	30	04
3	खरगौन	01	54	52	03
4	बड़वानी	01	13	14	–
5	खण्डवा	–	13	13	–
6	बुरहानपुर	17	420	407	30
7	झाबुआ	01	–	01	–
8	उज्जैन	06	71	73	04
9	रतलाम	–	12	11	01
10	मंदसौर	01	41	36	06
11	नीमच	–	2	2	–
12	देवास	01	15	13	03
13	शाजापुर	–	04	04	–
	कुल योग	33	823	790	66

विद्युत उपभोक्ता फोरम–पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी					
क्रमांक	जिला	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत की गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.08 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	जबलपुर	3	28	31	–
2	कटनी	1	10	11	–
3	मंडला	0	–	0	–
4	डिंडोरी	0	–	0	–
5	नरसिंहपुर	4	08	12	–
6	सिवनी	2	20	4	18
7	बालाघाट	3	16	12	07
8	छिंदवाडा	2	03	3	02
9	रीवा	7	57	55	09
10	सतना	10	44	38	16
11	सीधी	1	05	5	01
12	शहडोल	4	01	5	–
13	उमरिया	0	01	1	–
14	अनूपपुर	1	01	2	–
15	सागर	1	06	6	01
16	दमोह	0	04	4	–
17	छतरपुर	2	25	14	13
18	पन्ना	0	08	6	02
19	टीकमगढ़	1	06	7	–
	कुल योग	42	243	216	69

विद्युत उपभोक्ता फोरम– मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी					
क्रमांक	जिला	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत की गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.08 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	ग्वालियर	24	135	140	19
2	दतिया	01	04	05	–
3	मुरैना	08	12	15	05
4	भिण्ड	–	04	02	02
5	गुना	01	03	03	01
6	अशोकनगर	–	–	–	–
7	शिवपुरी	–	01	01	–
8	श्योपुरकलां	–	01	–	01
9	भोपाल	04	32	33	03
10	विदिशा	07	17	23	01
11	होशंगाबाद	–	09	05	04
12	बैतूल	04	04	06	02
13	राजगढ़	02	03	05	–
14	सीहोर	02	03	02	03
15	रायसेन	–	07	06	01
16	हरदा	04	3	05	02
	कुल योग	57	238	251	44

परिशिष्ट –4

हिन्दी रूपान्तरण

प्रतिवेदन अवधि के दौरान व्यवहारित की गई शिकायतों के प्रकार पर विद्युत लोकपाल की विस्तृत टीप/सुझाव तथा उपभोक्ता शिकायतों में कमी लाये जाने के संबंध में वांछित उपाय, अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त प्रतिक्रिया के संबंध में टिप्पणियां तथा सुझाव

उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के संबंध में, विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रथम स्तर पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा गठित फोरम तथा द्वितीय स्तर पर विद्युत लोकपाल का प्रावधान है जहां कोई भी व्यक्ति फोरम द्वारा शिकायत के निराकरण न होने की दशा में शिकायत के निवारण हेतु अपील कर सकता है। राज्य भर में कुल 76 लाख विद्युत उपभोक्ता हैं। वर्ष 2007–08 में इनमें से 1304 व्यक्तियों द्वारा फोरम में उनकी शिकायतों संबंधी आवेदन प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार, औसतन 6000 में से एक उपभोक्ता, अपनी शिकायत के साथ फोरम से सम्पर्क करता है। यह प्रदर्शित करता है कि अनुज्ञप्तिधारी का आंतरिक कार्यतंत्र प्रभावोत्पादक है। वर्ष के दौरान, फोरमों द्वारा 1257 प्रकरणों का निराकरण किया गया जिनमें से 50 प्रतिशत से अधिक प्रकरण बिलिंग, टैरिफ की प्रयुक्ति सही न होने, परिसर में संयोजित भार की जांच किये जाने पर अतिरिक्त मांग के अधिरोपण करने, अंकेक्षण के कारण वसूली करने, कृषि उपभोक्ता से संबंधित स्थाई संयोजन विच्छेद/ भार में कमी किये जाने संबंधी अनुरोध किये जाने के बावजूद बिल अधिरोपित किये जाने, आदि से संबंधित थे। नवीन सेवा संयोजन प्रदाय किये जाने में विलम्ब, वोल्टेज समस्या, ट्रांसफार्मर के असफल हो जाने, विद्युत व्यवधानों से संबंधित कोई गंभीर शिकायतें प्राप्त नहीं हुईं। फोरमों द्वारा सामान्य रूप से, 55 प्रतिशत प्रकरण 45 दिवस के अंदर निराकृत किये गये। तथापि, विद्युत लोकपाल द्वारा 15 शिकायतों के निर्दिष्ट 45 दिवस के भीतर निराकृत न परिवाद प्राप्त हुए जिन्हें तदोपरांत 45 से 60 दिवस के भीतर निराकृत कर दिया गया। वर्ष 2007–08 के दौरान, फोरमों द्वारा पारित किये गये आदेशों में से लगभग 60 प्रतिशत प्रकरण शिकायतकर्ता के पक्ष में गये तथा अवशेष प्रकरणों में से केवल 107 शिकायतकर्ताओं द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। यह फोरमों की संतोषजनक कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है।

अन्य अभ्युक्तियां तथा सुझाव :

1. विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा न्यून/उच्च वोल्टेज फेज़ अनुक्रम में परिवर्तन आदि के कारण सेवाओं में चूक किये जाने के कारण क्षति होने से

संबंधित, आदि भी थे। ऐसे प्रकरणों में विद्युत लोकपाल द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। विद्युत लोकपाल स्तर पर ऐसे प्रकरणों का निराकरण नहीं होता है। तथापि, उपभोक्ताओं को, ऐसे प्रकरणों के संबंध में, विद्यमान कानून के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से संपर्क किये जाने का परामर्श दिया गया है।

2. कृषि उपभोक्ताओं से भी शिकायतें प्राप्त हुई जहां बकाया राशि होने तथा उपभोक्ता के अनुरोध के बावजूद, स्थाई संयोजन विच्छेद तथा भार में कमी किया जाना अनुज्ञेय नहीं किया गया तथा बिलिंग जारी रखी गयी। इन्हें देयक प्रेषित किये गये, यद्यपि नलकूप/कूप के असफल हो जाने के कारण इनके द्वारा विद्युत की कोई खपत नहीं की गई थी। इस हेतु उपभोक्ता द्वारा मांग किये जाने पर विनिर्दिष्ट अवधि के अंतर्गत स्थाई संयोजन विच्छेद प्रक्रिया निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है, जैसा कि भार में कमी किये जाने संबंधी प्रकरणों में उचित सत्यापन उपरांत इस प्रकार की व्यवस्था की गई है।

अनुपालन मानदण्ड :

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार विनियम में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की जा रही सेवाओं हेतु कतिपय अनुपालन मानदण्डों का प्रावधान किया गया है, जैसे कि नवीन संयोजन की स्वीकृति, विश्वसनीय तथा गुणवत्ता का विद्युत प्रदाय, मीटर की जांच, बिलिंग आदि। फोरमों तथा विद्युत लोकपाल द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या से ज्ञात होता है कि अनुपालन मानदण्डों के परिपालन में किसी प्रकार का गंभीर उल्लंघन नहीं पाया गया। विनियम में ऐसा प्रावधान भी किया गया है कि ऐसे प्रकरणों में जहां अनुज्ञप्तिधारी विनिर्दिष्ट मानदण्डों की पूर्ति नहीं करता है, वहां प्रभावित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति प्रदान की जावे। निरीक्षणों के दौरान पाया गया कि वितरण कंपनियां इस विषय के संबंध में अधिक गंभीर नहीं हैं। चूंकि अनुज्ञप्तिधारी को यह क्षतिपूर्ति स्वयं द्वारा करनी होती है, अतः मेरे मतानुसार, क्षतिपूर्ति में विलम्ब किये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना चाहिए। उपभोक्ता जागरूकता हेतु, ये मानदण्ड अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके प्रत्येक कार्यालय में प्रदर्शित किये जाने चाहिए, परन्तु वस्तुस्थिति में ऐसा नहीं किया गया है। समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को इस ओर ध्यान देना होगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदाय की जा रही सेवाओं में सामान्य रूप से सुधार पाया गया ।

वर्ष 2007–08 हेतु विद्युत लोकपाल का वार्षिक प्रतिवेदन

निम्न तालिका विद्युत लोकपाल द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों का प्रकार/निपटान की गई संबंधी जानकारी प्रदर्शित करती है।

शिकायतों का प्रकार	**अवधि के प्रारंभ में लंबित**	**अवधि के दौरान प्राप्त की गई**	**अवधि के दौरान निराकृत**	**एक माह से कम की अवधि से लंबित**	**एक माह से अधिक परन्तु तीन माह तक लंबित**	**तीन माह से अधिक परन्तु छः माह तक लंबित**	**छः माह से अधिक अवधि से लंबित**	**कुल लंबित (संख्या)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विद्युत प्रदाय में अवरोध संबंधी	0	1	0	1	0	0	0	1
वोल्टेज संबंधी	0	2	2	0	0	0	0	0
भार कम करने/अनुसूचित अवरोध (लोड शेडिंग/ शेड्यूल्ड आऊटेज) संबंधी	0	3	3	0	0	0	0	0
मीटर संबंधी	1	7	5	1	0	0	2	3
विद्युत देयक संबंधी	34	58	72	5	13	2	0	20
विद्युत प्रदाय का संयोजन विच्छेद तथा पूर्व संयोजन संबंधी	0	5	2	0	0	0	3	3
नवीन संयोजन में विलंब संबंधी	1	3	4	0	0	0	0	0
अन्य शिकायतें, जैसे कि क्षति, मांग/भार में कमी/वृद्धि की जाना अथवा प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना, आदि	6	28	20	0	0	12	2	14
योग	**42**	**107**	**108**	**7**	**13**	**14**	**7**	**41**

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

वित्तीय वर्ष 2007–08 की प्राप्तियाँ तथा भुगतान संबंधी लेखे का विवरण पत्र

स.क्र.	प्राप्तियाँ	राशि (रुपये)
ए	**प्रारंभिक शेष**	
1	नगद एवं बैंक में	22350598
2	आई.सी.आई.सी.आई बैंक में सावधि जमा राशि	57602143
3	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में सावधि जमा राशि	10852516
4	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में सावधि जमा राशि	10852516
	योग (ए)	**101657773**
बी	**आय**	
1	याचिका शुल्क	45124567
2	विविध प्राप्तियाँ	238610
3	सत्यापित प्रति शुल्क	1100
4	बैंक से प्राप्त ब्याज	7791434
5	वाहन किराया	7500
6	नोट बुक कम्पूटर की वसूली	161420
	योग आय (बी)	**53324631**
सी	**प्रतिभूति निक्षेप**	
1	प्रतिभूति निक्षेप	670799
2	अन्य प्रतिभूति निक्षेप	40733
	योग आय (सी)	**711532**
	कुल प्राप्तियाँ (ए+बी+सी)	**155693936**

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल वित्तीय वर्ष 2007–08 की प्राप्तियाँ तथा भुगतान संबंधी लेखे का विवरण पत्र		
स.क्र.	**भुगतान शीर्ष**	**राशि (रुपये)**
डी	**व्यय**	
1	अवकाश यात्रा सुविधा	230559
2	अध्यक्ष तथा सदस्यों का वेतन	1972513
3	अधिकारियों का वेतन	4341248
4	तृतीय वर्ग के कर्मचारियों का वेतन	1731475
5	चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का वेतन	1357481
6	मानदेय राशि	165549
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	148396
8	मजदूरी व्यय	92757
9	यात्रा व्यय	1274733
10	डाक एवं तार व्यय	49548
11	दूरभाष व्यय	502157
12	समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	158643
13	मुद्रण एवं स्टेशनरी	720698
14	विद्युत एवं जल प्रदाय पर व्यय	834529
15	सेमिनार एवं सम्मेलन	365031
16	व्यावसायिक सेवाएं	468236
17	अनुरक्षण व्यय	444705
18	पुस्तकें एवं प्रकाशन	12513
19	विज्ञापन और प्रकाशन एवं प्रसार	1249794
20	पेट्रोल, तेल एवं लुब्रिकेंट	305419
21	कर्मचारी कल्याण	39858
22	वर्दीयां	29885
23	किराया, दर एवं कर	907116
24	परीक्षा एवं प्रशिक्षण	26584
25	लीगल चार्जेज	149220
26	ऊर्जा संरक्षण दिवस व्यय	35187
27	बैंक कमीशन एवं चार्जेज	9525
28	मटेरियल एवं सप्लाईज	20996
29	विविध व्यय	87154
30	म.प्र. शासन को ऋण पर ब्याज (अंतिम किश्त)	787080
31	**कुल व्यय (डी)**	**18518589**

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल वित्तीय वर्ष 2007–08 की प्राप्तियाँ तथा भुगतान संबंधी लेखे का विवरण पत्र		
स.क्र.	**भुगतान शीर्ष**	**राशि (रुपये)**
ई	**ऋण भुगतान तथा ब्याज**	
1	म.प्र. शासन को ऋण की अदायगी (तृतीय एवं अंतिम किश्त)	7496000
	योग (ई)	**7496000**
एफ	**स्थाई परिसंपतियों का क्रय**	
1	वाहन	600000
2	कार्यालय भवन (मेट्रो प्लाजा) हेतु भुगतान	15495340
3	फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	459111
4	अन्य मशीनरी (कम्प्यूटर)	529971
	योग (एफ)	**17084422**
जी	**सुरक्षा निधि जमा**	
1	सुरक्षा निधि	2000
	योग (जी)	**2000**
एच.	**अंतिम शेष**	
1	नगद तथा बैंक में जमा	17701341
2	आई.सी.आई.सी.आई बैंक में सावधि जमा राशि	54891584
3	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में सावधि जमा राशि	40000000
	योग (एच)	**112592925**
	कुल भुगतान (डी+ई+एफ+जी+एच)	**155693936**

****